

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, जनपद चम्पावत अन्तर्गत निराश्रित, बृद्ध, बीमार, विकलांग, परित्यक्त गोवंश एवं पुलिस-प्रशासन द्वारा गोतस्करों से बचाये गये केस प्रापर्टी गोवंश को शरण दिये जाने हेतु निम्न गोशाला शरणालय निर्माणाधीन है :-

क्र०	कार्यदायी स्थानीय निकाय का नाम	भूमि का रकबा	भूमि आवंटन स्थान का नाम	गोशाला की क्षमता *
1.	नगर पालिका परिसर, टनकपुर	0.401 हैक्टेअर	नायकगोठ	लगभग 75

शासनादेश ईपत्र संख्या 36254 दिनांक 26 जून, 2023 एवं उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के पत्रांक 3149-50 दिनांक 31-12-2024 के अनुरूप, इन गोशाला शरणालयों का संचालन, पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन गठित भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड (AWBI : Animal Welfare Board of India) अथवा उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड अन्तर्गत गोकल्याण हेतु मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाना है। बोर्ड के पत्रांक 1847-53 दिनांक 11-08-2023 के अनुरूप, इन संस्थाओं द्वारा, अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त प्रतिस्पर्धात्मक एवं तुलनात्मक चयन किया जाना है। इस क्रम में निर्धारित आवेदन प्रपत्र एन.आई.सी. चम्पावत की वैबसाइट लिंक <https://champawat.nic.in/contact-us/> अथवा उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड की वैबसाइट लिंक <https://ahd.uk.gov.in/notice-category/expression-of-interest-for-gausadan/> अथवा मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी चम्पावत के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। समस्त इच्छुक आवेदक संस्थाओं द्वारा विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिनों के भीतर, कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी चम्पावत अन्तर्गत, निर्धारित आवेदन प्रपत्र के माध्यम से आवेदन स्वयं अथवा पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी
चम्पावत।

कार्यालय:-मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, चम्पावत।

☒:-cvo.champawat@rediffmail.com, ☎/☎:- 05965-230843

पत्रांक 5129 /पशुधन-03/2025-26

दिनांक 18 मार्च, 2026

प्रतिलिपि:-1. जिलाधिकारी महोदय चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला सूचना अधिकारी, चम्पावत को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।

3. विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक अमर उजाला/हिन्दुस्तान, जनपद चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम शासकीय दरों पर प्रकाशित कर बिल सत्यापन उपरान्त भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी
चम्पावत।

जिला अधिकारी महोदय द्वारा चम्पावत जनपद में गोशाला शरणालय की स्थापना हेतु आबंटित भूमि पर, गोशाला के संचालन के क्रम में, मान्यता प्रदत्त एवं अनुभवी गैरसरकारी पशु कल्याण संस्था के चयन हेतु क अभिरुचि की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव:

- 1 आवेदन संस्था का नाम
- 2 आवेदक संस्था का पत्र व्यवहार पता
- 3 आवेदक संस्था का ई मेल पता
- 4 आवेदक संस्था हेतु संपर्क दूरभाष सं०
- 5 आवेदक संस्था का पंजीकरण एक्ट / पंजीकरण संख्या / पंजीकरण तिथि
- 6 आवेदक गैरसरकारी संस्था द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट / ट्रस्ट एक्ट / किसी अन्य एक्ट अन्तर्गत पंजीकरण कार्यालय का पता

- 7 आवेदक संस्था का भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड अथवा उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के तहत गोकल्याण हेतु पंजीकरण संख्या एवं पंजीकरण तिथि

- 8 आवेदक संस्था द्वारा विभिन्न स्थान / स्थानों पर संचालित गोशाला / गोशालाओं अन्तर्गत शरणागत गोवंश की संख्या

स्थान	शरणागत गोवंश की संख्या
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

- 9 आवेदक संस्था द्वारा किसी विशेष गोशाला शरणालय के संचालन हेतु अभिरुचि की अभियुक्ति

क्र० सं०	कार्यदायी स्थानीय निकाय का नाम	गोशाला शरणालय हेतु चिन्हांकित स्थान	निर्माणाधीन गोशाला परिसर की वर्तमान समय में अपेक्षित क्षमता	कालान्तर में गोशाला की क्षमता विस्तार किये जाने पर अधिकतम अपेक्षित क्षमता	अभिरुचि की अभिव्यक्ति कृपया अभिरुचि होने पर √ का निशान लगायें
1.	नगर पालिका परिसर, टनकपुर	नायकगोठ	लगभग 75	100 लगभग	अभिरुचि है / नहीं है

जनपद चम्पावत अन्तर्गत गोशाला शरणालयों की स्थापना हेतु चिन्हांकित भूमि पर गोशाला के संचालन हेतु चयन हेतु के अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव के क्रम में चैक लिस्ट:

क्र०	बिन्दु	आवेदक संस्था द्वारा जाँच (✓/ ×)	जाँच अधि० द्वारा जाँच (✓/ ×)
1.	क्या आपके द्वारा प्रेषित इस आवेदन प्रकरण में, उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 के तहत गोसदन संचालक संस्था को मान्यता/ अनुदान निर्गत किये जाने के क्रम में निर्धारित आवेदन पत्र (Annex. A Pg. No.1 to Pg. No.10) के माध्यम से आवश्यक सूचनाएँ/ अभिलेख संकलित कर उपलब्ध कराये जा रहे हैं ?		
2.	क्या आपके द्वारा प्रेषित इस आवेदन प्रकरण में, शासनादेश संख्या 36254 दिनांक 04 जुलाई, 2023 तथा उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण अधिनियम में वर्णित शर्तों की स्वीकार्यता के क्रम में रु०100/- मात्र के गैर न्यायिक अनुबन्ध पत्र (Annex. B Pg. No.1 & Pg. No.2) पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है ?		
3.	क्या आपके द्वारा प्रेषित इस आवेदन प्रकरण में, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा ट्रस्ट एक्ट अथवा किसी अन्य एक्ट के तहत गैरलाभ-हानि वाली गैरसरकारी संस्था के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायी जा रही है ?		
4.	क्या आपके द्वारा प्रेषित इस आवेदन प्रकरण में, पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड (AWBI) अथवा पशुपालन मंत्रालय उत्तराखण्ड सरकार के अधीन संचालित उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड द्वारा गोसदन/ गोशाला शरणालय के संचालन हेतु मान्यता प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायी जा रही है ?		
5.	क्या आपके द्वारा प्रेषित इस आवेदन प्रकरण में, उत्तराखण्ड शासन अथवा उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड अथवा भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड अथवा नगर निकाय अथवा अन्य स्थानीय निकाय के अभिलेखों के अनुरूप गत वित्तीय वर्ष में शरणागत गोवंश की औसत संख्या की सूचना उपलब्ध करायी जा रही है ?		
6.	क्या आपके द्वारा प्रेषित इस आवेदन प्रकरण में, निराश्रित परित्यक्त गोवंश को शरण दिये जाने हेतु आवेदक संस्था का उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड अथवा AWBI अन्तर्गत पंजीकरण उपरान्त अनुभव से सम्बन्धित अभिलेख की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी जा रही है ?		

आवेदक संस्था के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर

Annexure A

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड

Uttarakhand Animal Welfare Board

(मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन गठित संस्था)

शीर्ष तल, पशुघन भवन, मोथरोंवाला देहरादून।

फोन नं० - 0135 - 2532 850 फैक्स : 0135 - 2532 811

वेब साइट : <http://ahd.uk.gov.in/pagesdisplay132-uttarakhand-animal-welfare-board>

पशु कल्याण संस्था के रूप में मान्यता/राजकीय अनुदान हेतु आवेदन प्रपत्र

1. संस्था का परिचय
 - नाम
 - पता
 - पिन कोड
 - दूरभाष/एस.टी.डी कोड
 - फैक्स
 - ई मेल
2. संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों के नाम एवं पते :
3. क्या संस्था भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त है ? यदि हाँ तो कोड संख्या ?
4. आपकी संस्था द्वारा पशु कल्याण का क्या कार्य किया जाता है ?
ए. बी. सी./बचाव कार्य/पशु शरणालय/पशु चिकित्सा /
प्राकृतिक आपदा में बचाव कार्य/विधिक न्यायालयी सहायता
5. क्या आपकी संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा ट्रस्ट एक्ट अथवा विदेशी सहायता एक्ट के तहत पंजीकृत है ?

यदि हाँ तो :-

(क) कृपया पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(ख) पंजीकरण कार्यालय

(ग) पंजीकरण संख्या

(घ) पंजीकरण तिथि

6. संस्था का स्थापना वर्ष/नियमावली की सत्यापित छायाप्रति/
पदाधिकारियों का विवरण एवं उनके दायित्व तथा कार्यक्षेत्र :
7. गत तीन वर्षों का आय व्यय लेखा :
8. क्या संस्था द्वारा राजकीय कोष से (भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड अथवा भारत सरकार अन्तर्गत किसी अन्य संस्था या उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड अथवा उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत किसी अन्य संस्था या सांसद निधि या विधायक निधि या ग्राम पंचायत अथवा क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत या नगर पालिका अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय) से पशु कल्याण कार्यो हेतु अनुदान प्राप्त किया गया ? यदि हाँ तो प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं लेखा विवरण भेज दिया गया है ?

प्राप्त अनुदान का विवरण प्रस्तुत करें।

9. संस्था की संपत्ति / संसाधन

9.1 भूमि :

(क) कुल भूमि उपलब्धता :

(ख) क्या भूमि आपकी संस्था के नाम पंजीकृत है ?

यदि हाँ तो कृपया अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

(ग) क्या भूमि आपकी संस्था के नियंत्रणाधीन है ?

यदि हाँ तो कृपया स्पष्ट करें कब से उक्त भूमि आपके नियंत्रणाधीन है ?

(घ) किस प्रकार भूमि अर्जित की गयी ? तदनुसार अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न करें।

- क्रय से अर्जित की गयी ?
- दान से अर्जित की गयी ?
- न्यूनतम 30 वर्ष के पट्टे से अर्जित की गयी ?
- राजकीय भूमि ?
- स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि ?

(ड) क्या आपकी भूमि में परिसर दीवार अथवा आयरन फेंसिंग करा ली गयी है ?

(व) बड़े पशुओं के गौचर हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल :

(छ) छोटे पशुओं के भ्रमण हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल :

9.2 उपलब्ध पशु चिकित्सा/प्राथमिक चिकित्सा संसाधन :

पशु चिकित्सक : संख्या ?

उपलब्धता - पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

पैरा वैटनरी स्टाफ : संख्या ?

उपलब्धता - पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

श्रमिकवर्ग पैरावैट : संख्या ?

उपलब्धता - पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

- औषधालय :
- औषधि उपलब्धता सूची :
- क्या औषधि उपलब्धता सूची को मासिक रूप से पुनः नवीनीकृत किया जाता है ? :
- आइसोलेसन वार्ड/ आई. सी. यू. / बीमार पशु वार्ड :
- लिपिटिंग वैन / एम्बुलेंस की उपलब्धता :
- अन्य सुविधायें :

9.3 पशुओं हेतु चारा/भोजन का स्रोत एवं भण्डारण सुविधा :

- पशुओं हेतु चारागाह की सुविधा -
- सूखे चारे के स्रोत -
- परिसर में उपलब्ध चारा वृक्षों की संख्या ? औसत उत्पादकता ?
- गत वर्ष लगाये गये पेड़ों की संख्या ? औसत उत्पादकता ?
- चालू वर्ष में लगाये गये पेड़ों की संख्या ? औसत उत्पादकता ?
- परिसर में चारा घासों का रोपित क्षेत्रफल ? औसत उत्पादकता ?
- अन्य स्रोतों से उपलब्धता ?

- चाराचरी की उपलब्धता -
- भूसा स्टोर कक्षों की व्यवस्था -
- अन्य चारे हेतु स्टोर कक्षों की व्यवस्था -
- चैप कटर की उपलब्धता -
- चारा घासों का फसल चक्र -

संख्या -
 संख्या एवं साइज -
 संख्या एवं साइज -
 संख्या -

9.4 अन्य संसाधन एवं अन्य सुविधायें :

- बिजली -
 - बल्ब -
 - ट्यूब लाइट -
 - पंखे -
 - ट्यूबवैल / बोरवैल / मोटराइज्ड पम्प -
 - मोटराइज्ड चैपकटर -
 - पेय जल स्रोत -
- (कुआं / बोर वैल / हैंड पंप / प्राकृतिक स्रोत / नहर / नदी / पेय जल संयोजन)

- पेय जल संग्रहण की सुविधा :
 - ओवर हैड टैंक - संख्या - क्षमता -
 - स्टोरेज टैंक (सीमेंट) - संख्या - क्षमता -
 - स्टोरेज टैंक (प्लास्टिक) - संख्या - क्षमता -
 - पानी पीने की नांद - संख्या -

- नाली की व्यवस्था
- मूत्र संग्रह की व्यवस्था
- गोबर संग्रह की व्यवस्था
- चारा पिट्स की व्यवस्था
- स्वच्छता एवं सफाई की दशा :
- गोजन पकाने / तैयार करने हेतु बर्तन आदि की सुविधायें :

9.5 कार्यालय अभिलेखों का विवरण :

- कार्यालय पंजीकाओं के शीर्षक :
- कार्यालय फाइलों के शीर्षक :
- अन्य अभिलेख :

10. वर्तमान में आपकी संस्था में शरणागत पशुओं की संख्या ?
आवेदन पत्र के साथ संलग्नक प्रपत्र 1 में सागरत सूचनाएँ उल्लिखित करें।
रोगी पशु संख्या ?
निराश्रित अपंग पशु संख्या ?
निराश्रित अनुत्पादक/बृद्ध पशु संख्या ?
निराश्रित उत्पादक पशु संख्या ?
11. दुधारु पशुओं में ऑक्सीटोसिन एवं अन्य दवाओं के प्रयोग का विवरण :
12. क्या आपकी संस्था में गोबर गैस का सदुपयोग प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हाँ तो कृपया प्रगति विवरण दें।
13. क्या आपकी संस्था में बर्मी कल्चर का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?
14. क्या आपकी संस्था में गौ मूत्र विक्रय का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हाँ तो कृपया प्रगति विवरण दें।
15. क्या आपकी संस्था में गौमूत्र शोधन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हाँ तो कृपया प्रगति विवरण दें।
16. क्या आपकी संस्था में गौ मूत्र से अन्य उत्पाद तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हाँ तो कृपया प्रगति विवरण दें।
17. क्या आपकी संस्था में पंचगव्य से विभिन्न उत्पाद तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :
यदि हाँ तो कृपया प्रगति विवरण दें।
18. गत वर्षों में आपकी संस्था द्वारा बचाये गये पशुओं का विवरण :
समाचार पत्रों की पेपर कटिंग्स, / फोटो ग्राफ्स/वी. सी. डी. संलग्न कर प्रस्तुत करें।
19. संस्था में पशुओं को रखने की क्षमता हेतु विवरण संलग्न-1 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

20. संस्था में कर्मचारियों का विवरण संलग्न-2 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

21. संस्था के अभिलेखों की छायाप्रतियाँ संलग्न-3 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

22. स्पष्ट करें कि वांछित अनुदान धनराशि सुदृढीकरण हेतु वांछित है अथवा नव-निर्माण हेतु।

मैं/हम ने गौ-सदन स्थापना/सुदृढीकरण के लिये आर्थिक अनुदान धनराशि हेतु, उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण नियमावली, 2011, उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018 एवं तत्सम्बन्धित शासनादेशों (शासनादेश संख्या 759/XV-1/1(3)/2008, पशुपालन अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 16 दिसम्बर, 2008, शासनादेश संख्या 807/XV-1/11/1(3)08, पशुपालन अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 एवं शासनादेश संख्या 1063/XV-1/16/1(3)/2008, पशुपालन अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 28 दिसम्बर, 2016) में उल्लिखित शर्तें एवं अनुमन्यतायें भली-भाँति पढ़ ली हैं। हमारी संस्था को सभी शर्तें स्वीकार हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

संलग्नक : आवेदन प्रपत्र-1 से प्रपत्र-3 संलग्न कर प्रेषित करें।

आवेदन प्रपत्र संलग्नक-1

योजना का नाम :- गौ सदन/पशु शरणालय

1. संस्थान का नाम :
2. वर्ष :

शरणागत पशुओं का विवरण

क्रम सं०	पशुओं के प्रकार व नस्ल	वयस्क		बच्चे		योग
		नर	मादा	नर	मादा	
1.	गोवंशीय पशु (भारतीय नस्ल)					
2.	गोवंशीय पशु (विदेशी नस्ल)					
3.	अन्य पशु					
कुल शरणागत पशु						
अतिरिक्त उपलब्ध क्षमता (वर्ग फुट)	 वर्ग फुट (गो पशुओं हेतु)				
	 वर्ग फुट (अन्य पशुओं हेतु)				

आवेदक के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर तिथि :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

आवेदन प्रपत्र संलग्नक-2

योजना का नाम:- गौ सदन/पशु शरणालय के रख-रखाव/उपचार हेतु उपलब्ध कार्मिकों का विवरण

भाग-1 (गत वर्ष.....)

1. संस्था का नाम :-
2. संस्था का पता :-
3. वर्ष

क्रम सं०	कार्मिक का नाम व पता	योग्यता	नियुक्ति की तिथि	अवधि	प्रतिमाह वेतन	गत वर्ष किया गया कुल वेतन मुगतान	टिप्पणी

आवेदक के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर तिथि :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

गौ-सदन/पशु शरणालय के स्थान हेतु प्रपत्र के साथ अपेक्षित अभिलेखों की सूची :-

1. निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र
2. विस्तृत प्रस्ताव एवं गौ सदन के निर्माण का औचित्य
3. आवेदन पत्र के बिन्दु-5 के अनुरूप पंजीकरण प्रमाण पत्र के सत्यापित छायाप्रति
4. संस्था का स्मृति पत्र की सत्यापित छायाप्रति
5. संस्था की नियमावली की सत्यापित छायाप्रति
6. साईट प्लान/ब्लू प्रिन्ट जो कि स्थानीय निकाय के द्वारा स्वीकृत हों।
7. भूमि के अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति (भूमि की रजिस्ट्री अथवा लीज अथवा पंचनामा की सत्यापित छायाप्रति। भूमि कम से कम 30 वर्ष हेतु पट्टे पर ली गयी हो।)
8. संस्था के नाम पर भूमि के पंजीकरण के रजिस्टर अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति।
9. स्थानीय निकायों के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत गौ-सदन/पशु शरणालय बनाये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (सत्यापित छायाप्रति)।
10. गौ-सदन/पशु शरणालय बनाये जाने हेतु घनराशि का मदवार आबंटन लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत दरों पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार किया जाए (मूल रूप में)।
11. संस्था की अधिशासी समिति तथा सामान्य कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची (नाम, पता, दूरभाष संख्या)
12. संस्था के गत वर्ष के आय-व्यय लेखा का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित निम्न अभिलेखों की छायाप्रति :-
 1. आय-व्यय का लेखा (बैलेन्स शीट)
 2. व्यय लेखा (एक्सपेंडिचर एकाउन्ट)
 3. प्राप्ति भुगतान लेखा
 4. सम्परीक्षण प्रतिवेदन
13. आज तक पशु कल्याण हेतु किये गये कार्यों का विवरण तथा उन पर किये गये व्यय।
14. गौ-सदन को भली-भाँति चलाने तथा पशुओं के रख-रखाव हेतु वित्तीय संसाधन।
15. क्या आज तक संस्था को भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड से वित्तीय अनुदान प्राप्त हुआ है (यदि हाँ तो विवरण दें तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)
16. औषधि/उपकरण क्रय हेतु रेट कोटेशन की छायाप्रति।
17. वर्तमान समय में उपलब्ध भवनों की क्षमता।
18. क्या संस्था द्वारा स्थानीय निकाय में आवारा पशुओं को षरण दिये जाने के बावत सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया गया है (यदि हाँ तो कृपया अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
19. वर्तमान समय में आपकी संस्था में शरणागत पशुओं की संख्या के अभिलेख के क्रम में संलग्नक आवेदन प्रपत्र-1
20. वर्तमान समय में आपकी संस्था में कार्यरत कार्मिकों की संख्या के क्रम में संलग्नक आवेदन प्रपत्र-2

अपील :-

आवेदक संस्थाओं से निवेदन है कि अपने 'आवेदन प्रस्ताव' के साथ समस्त अभिलेख संलग्न करें, जिससे प्रस्तावों पर शीघ्रतिशीघ्र निर्णय हेतु सुविधा हो सके।

आवेदन प्रपत्र संलग्नक-3

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार से मान्यता लिये जाने के क्रम में आवेदक संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव

आवेदक संस्था का नाम :

आवेदक संस्था का पता :

आज दिनांक स्थान पर हमारी संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई। प्रबन्ध कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि :-

1. हमारी संस्था द्वारा अलाभकर गोवंश (बृद्ध / बीमार / विकलांग / बांझ / अनुत्पादक निराश्रित गोवंश तथा पुलिस प्रशासन द्वारा गोतस्करों से जब्त किये गये केस प्रॉपर्टी गोवंश) को शरण दिये जाने का पवित्र कार्य किया जायेगा।
2. हमारी संस्था द्वारा स्वयं के संसाधनों/दान अथवा जनसहयोग से मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 50 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 25 अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने हेतु कृत संकल्प एवं समर्थ है।
3. हमारी संस्था पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड से मान्यता लिये जाने हेतु सहमत है।
4. हमारी संस्था उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदत्त आंशिक सहायता/भरण पोषण अनुदान से लाभान्वित किये जाने हेतु आकांक्षी है।
5. हमारी संस्था, समस्त शरणागत गोवंश की भली प्रकार देख-रेख भरण पोषण करने हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।
6. हमारी संस्था, गोहत्या के निषेध तथा गोतस्करी के निवारण हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।
7. हमारी संस्था द्वारा शरणागत गोवंश की बीमारी की दशा में राजकीय पशुचिकित्सालय के माध्यम से चिकित्सा कराये जाने तथा मृत्यु की दशा में शव परीक्षण/प्रमाणन कराये जाने हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-
- 7-

ANNEXURE B

शासनादेश संख्या 36254/XV-I/23/7(14)22 दिनांक 04-07-2024 के अनुरूप, राजकीय अनुदान से पूर्व अनुबन्ध की शर्तें :

- 1- अलाभकर गोवंश (बृद्ध, बीमार, विकलांग, अनुत्पादक, निराश्रित एवं पुलिस-प्रशासन द्वारा गो तस्करों से जब्त किये गये न्यायिक प्रकरणाधीन केस प्रोपर्टी गोवंश) को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, आवेदक संस्था -
उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम-2007 तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रख्यापित नियमावलियों/ संशोधन आदेशों तथा तदक्रम में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में वर्णित कानूनी प्राविधानों तथा जनपदीय गोआश्रय अनुश्रवण समिति/ विकासखण्ड स्तरीय गो आश्रय अनुश्रवण समित द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु बाध्य होगी।
- 2- आवेदक संस्था - गोसदन की निर्धारित क्षमतानुसार गोवंश की संख्या के बराबर अलाभकर गोवंश को शरण देने हेतु प्रतिबद्ध होगी। तदक्रम में संस्था, पुलिस प्रशासन/ स्थानीय निकाय अथवा अन्य प्राधिकारियों को गोवंश को शरण दिये जाने के क्रम में सहयोग करने हेतु बाध्य होगी।
- 3- आवेदक संस्था - पंजीकृत एवं राजकीय मान्यता प्रदत्त गैर-सरकारी संस्था है तथा इस संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र के माध्यम से राजकीय मान्यता हेतु आवेदन किया गया है।
- 4- आवेदक संस्था - निम्न प्राविधान के अनुरूप पंजीकृत गैरसरकारी संस्था है (जो भी लागू हो उस बिन्दु पर सही ✓ का निशान लगायें) :-
 - (क) सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है
अथवा
 - (ख) अलाभकर गोवंश के कल्याण हेतु बिना लाभ अर्जन करते हुए कोई अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत धर्मार्थ संस्था है
अथवा
 - (ग) पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड तहत पंजीकृत संस्था है
अथवा
 - (घ) किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है
- 5- आवेदक संस्था - समस्त शरणागत गोवंश की भली प्रकार देख-रेख-भरण पोषण हेतु-राजकीय आंशिक सहायता भरण-पोषण अनुदान के अतिरिक्त समस्त अवशेष व्ययों को निर्वहन कर पाने में सक्षम, कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।
- 6- आवेदक संस्था - गौशाला में न्यूनतम कवर्ड एरिया (40 वर्ग फीट प्रति गोवंश) के आधार पर निर्धारित गोवंशीय पशुओं को रखने स्वीकार करने हेतु सक्षम, कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।
- 7- आवेदक संस्था - भरण-पोषण एवं निर्माण मद में दिये गये राजकीय अनुदान का अनवार्य रूप से एक माह के भीतर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से सत्यापित लेखा परीक्षण उपरान्त समायोजन एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी टिहरी को उपलब्ध कराने हेतु कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

- 8- आवेदक संस्था - गोवंश भरण-पोषण मद में निर्गत की गई राजकीय अनुदान धनराशि का सदुपयोग, निराश्रित गोवंशीय पशुओं के भरण-पोषण/प्रबन्धन हेतु ही किये जाने के क्रम में कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।
- 9- आवेदक संस्था - भली प्रकार विदित एवं सहमत है कि, शासन/प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई भी प्रतिनिधि, संस्था का किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है। इस क्रम में संस्था पूर्ण सहयोग किये जाने हेतु कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।
- 10- आवेदक संस्था - भली प्रकार विदित एवं सहमत है कि, गोवंश प्रबन्धन/लेखा परीक्षण/भू उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर उत्तराखण्ड शासन/ जिला प्रशासन/ स्थानीय निकाय, आवेदक संस्था को 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए आदेशित किया जा सकता है। आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट न होने की स्थिति में या किसी भी विवाद की दशा में शासन का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसी स्थिति में कभी भी भूमि आबंटन निरस्त कर, गोवंश/ भू प्रबन्धन अथवा गोसदन परिसर के उपयोग का दायित्व किसी भी अन्य अर्ह संस्था को हस्तान्तरित किया जा सकता है।
- 11- आवेदक संस्था - की गौशाला में क्षमता से अधिक गोवंशीय पशु होने पर, क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी की आख्या के आधार पर, गोवंश को अन्यत्र मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों की क्षमता के आधार पर शहरी विकास विभाग/ जिला पंचायत के माध्यम से विस्थापित किये जाने हेतु कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।
- 12- आवेदक संस्था - भली प्रकार विदित एवं सहमत है कि, संस्था द्वारा संचालित गोसदनों में संदिग्ध अवस्था में गोवंशीय पशुओं की क्षति होने पर विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सम्बन्धित गोसदन की जांच की जायेगी। विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी जांच आख्या जनपद स्तरीय समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद स्तरीय समिति की अनुशंसा पर जिला पुलिस/ प्रशासन तथा स्थानीय निकाय द्वारा यथोचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

अनुबन्ध शपथ पत्र
100 के नॉन जूडिशियल बॉण्ड फॉर्म।

आवेदक का नाम :
पिता का नाम :
संस्था का नाम :
संस्था के पदभार :
पता :
दूरभाष संख्या :
ई-मेल :
खाता संख्या एवं बैंक का नाम :

द्वारा यह शपथ पूर्वक अनुबन्ध किया जाता है कि, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद के कार्यालय पत्रांक दिनांक में वर्णित अनुदान राशि क्रम में शपथ पूर्वक कथन है कि :-

1. गोवंश भरण-पोषण स्वीकृत धनराशि रु० शब्दों में रु० हमारे उक्त बैंक खाते के माध्यम से हमारी गोसदन को उपलब्ध करा दिये जाने हेतु यह शपथ पत्र बनवाया गया है।
2. धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त तत्काल दो सप्ताह के भीतर अपनी संस्था का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से समस्त व्यय और देयकों का सम्परीक्षण करा लिया जायेगा तथा तदनुसार अनुबन्ध शपथ पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र विकासखण्ड स्तरीय पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1 को समा कर दिया जायेगा।
3. समस्त व्यय न्यूनतम स्थानीय बाजार भाव पर किये जायेगे।
4. शासनादेश में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप गोवंश भरण-पोषण मद में आबंटित राशि गोवंश भरण-पोषण हेतु ही सदुपयोग में लायी जायेगी तथा इस राशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।
5. आबंटित राशि के सापेक्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दश में पशुपालन विभाग आवश्यक कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा तथा भविष्य में संस्था को पशुपालन विभाग द्वारा अनुदान से वंचित रखा जाएगा।